संख्या-194/2020/414/22-2-2020-17(142)/2020

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 14 जून, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सत्तार पुत्र श्री सधारी गद्दी निवासी जनपद-सीतापुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-7904/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-26.02.2020) दिनांक 18.03.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सत्तार पुत्र श्री सधारी गद्दी, हुसेनीपुर मजरा-मदनापुर, थाना-तालगांव, जनपद-सीतापुर का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 08.09.2003 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर बांका व छुरी से मुस्तफा गद्दी नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-913/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश,(कोर्ट सं0-55) सीतापुर के आदेश दिनांक 09.10.2007 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.04.2019 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 18.08.2019 तक 15 वर्ष 11 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 10 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 08.09.2003 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर बांका व छुरी से मुस्तफा गद्दी नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट अनुसार बन्दी की आयु लगभग 55 वर्ष 05 माह है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है। बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी की सुरक्षा के दृष्टि से जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक आार्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने का अंकन पुलिस अधीक्षक द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सत्तार पुत्र श्री सधारी गद्दी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सत्तार (बन्दी संख्या-44349) पुत्र श्री सधारी गद्दी निवासी जनपद-सीतापुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार कर दी** गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर

विशेष सचिव।

संख्या-194/2020/414(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-सीतापुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह

उप सचिव।

<u>शासनादेश संख्या-194/2020/414/22-2-2020-17(142)/2020</u>

दिनांक 14 जून, 2020 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सत्तार पुत्र श्री सधारी गद्दी, हुसेनीपुर मजरा-मदनापुर, थाना-तालगांव, जनपद-सीतापुर का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 08.09.2003 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर बांका व छुरी से मुस्तफा गद्दी नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-913/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश,(कोर्ट सं0-55) सीतापुर के आदेश दिनांक 09.10.2007 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.04.2019 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 18.08.2019 तक 15 वर्ष 11 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 10 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 08.09.2003 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर बांका व छुरी से मुस्तफा गद्दी नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट अनुसार बन्दी की आयु लगभग 55 वर्ष 05 माह है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है। बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी की सुरक्षा के दृष्टि से जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक आार्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने का अंकन पुलिस अधीक्षक द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सत्तार पुत्र श्री सधारी गद्दी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की गयी है।** उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।